



**मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
“पर्यटन भवन” भदभदा रोड, भोपाल।**

फोन: 0755-2764397, फ़ैक्स: 0755-2774289

अल्प निविदा सूचना

निविदा क्र.: 10659

दिनांक: 13/09/11

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा “विश्व पर्यटन दिवस” दिनांक 27/09/11 को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए स्टेज, ग्रीन रूम्स, लाईट्स टेक्निकल राईडर, साउण्ड टेक्निकल राईडर आदि की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। टेक्निकल राईडर्स, निविदा फॉर्म, नियम एवं शर्तें www.mpstdc.com से डाउनलोड किया जा सकता है। अनुभवी एवं योग्य संस्थाएँ दिनांक 21/09/2011 तक निगम मुख्यालय में अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा जमा कर सकती हैं।

प्रबंध निदेशक

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़ भोपाल

निविदाकर्ता का विवरण

निविदा क्रमांक:- 10659

दिनांक 13/09/2011

निविदाकर्ता का नाम _____

पता _____

दूरभाष क्रमांक कार्यालय-----निवास----- मोबाईल -----

संस्थान का नाम _____

पता _____

दूरभाष क्रमांक _____

धरोहर राशि बैंक का नाम -----

(10,000 / -) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक -----

राशि रू -----

पूर्ण योग्यता शर्तों संबंधी जानकारी

1. निविदाकर्ता का नगर पालिका निगम का पंजीयन क्रमांक ----- (छायाप्रति संलग्न करें)
2. निविदाकर्ता का पेन नम्बर-----टिन नंबर----- (छायाप्रति संलग्न करें) व विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।
3. निविदाकर्ता के पास महत्वपूर्ण शासकीय/अशासकीय/राष्ट्रीय स्तर का अनुभव होना आवश्यक है। (पिछले पांच वर्षों के प्रमाण-पत्र संलग्न किसे जावें)
4. निविदाकर्ता के पास संस्था का विधिवत पंजीयन आवश्यक है। (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी)
5. निविदाकर्ता का पी.डब्ल्यू.डी./सी.पी.ए. में 5 वर्ष पूर्व से टेंडर अवधि तक का पंजीयन तथा विद्युत संबंधी कार्यों का 'ए' श्रेणी के, नाम से निविदाकार का पंजीयन आवश्यक है। (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि निविदा फार्म के साथ दिये गये सभी नियम एवं शर्तों (क्रं. 1 से 41 तक) का अध्ययन कर लिया है मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।

दिनांक-----

पूरा नाम -----

फर्म का नाम एवं पता-----

1. **सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्थल:-**

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन "भारत भवन" के "बहिरंग मंच" पर दिनांक 27/09/2011 को सायं 6.00 बजे से किया जाना है।

2. **निविदा प्रस्तुत करने की विधि:-**

- (अ) पूर्ण योग्यता के बारे में निविदाकर्ता को प्रपत्र-1 में जानकारी देना होगी। यह जानकारी इस हेतु निर्धारित लिफाफा (मार्क 'ए') में रखें। (इस लिफाफे को सर्वप्रथम खोला जायेगा)
- (ब) प्रपत्र-2 में निविदा कर्ता द्वारा उल्लेखित सामग्रियों/व्यवस्थाओं हेतु दरें प्रस्तावित की जाएगी। इसे निर्धारित लिफाफा (मार्क 'बी') में रखें। (इस लिफाफे को प्रपत्र-1 की समस्त जानकारी वांछित अनुसार पाये जाने पर ही खोला जावेगा)
- (स) उक्त लिफाफा 'ए' एवं लिफाफा 'बी' एक अन्य लिफाफा 'सी' में रखकर सीलबंद करे। यह लिफाफा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल को संबोधित होगा। इसके ऊपर ----- के कार्य की निविदा हेतु दरें अंकित किया जाये।

3. **धरोहर राशि:-**

- (अ) निविदा के साथ रु. 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट **मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल** के नाम बनाया जाकर धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी. राष्ट्रीयकृत बैंक की ही होना चाहिए।
- (ब) संस्थान का चयन नहीं होने पर निविदाकर्ता की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट वापिस कर दिया जायेगा। चुने गये निविदाकर्ता की धरोहर राशि उसके साथ होने वाले प्रदाय अनुबंध अवधि की समाप्ति तक कार्यालय में जमा रहेगी तथा सम्पूर्ण अनुबंध अवधि में संतोषजनक रूप से कार्य होने की स्थिति में अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात वापिस की जावेगी।
- (स) अनुबंध अवधि में शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने, पूर्ण या आंशिक रूप से असफल रहने पर धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल का निर्णय अंतिम तथा निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।

4. **निविदा प्रक्रिया:-**

- (अ) निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21/09/2011 अपराह्न 3.00 बजे निर्धारित है, इसके पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (ब) निर्धारित समय सीमा में प्राप्त वैध निविदाओं को प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 21/09/2011 को अपराह्न 4.00 बजे खोला जायेगा।

5. कार्य की शर्तें:—

1. सामग्री का मानक स्तर एवं गुणवत्ता के साथ फर्म की व्यावसायिक एवं आर्थिक क्षमताएँ प्रतिष्ठा एवं अनुभव महत्वपूर्ण समझे जायेंगे। ऐसी फर्मों से ही निविदा स्वीकार योग्य होगी जिन्होंने चालू वित्त वर्ष में कम से कम 10 लाख वार्षिक व्यापार किया हो।
2. निविदाकर्ता के पास भोपाल के अलावा प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर भी कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। (प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
3. निविदाकर्ता द्वारा कार्यक्रम एवं मंच निर्माण के लिये समस्त साज—सज्जा सामग्री, पर्याप्त विद्युत सामग्री तथा पैनल बोर्ड, झण्डे, पाइप, वेलवेट, कपड़ा, शीट इत्यादि स्वयं जुटाई जावेगी तथा आयोजन उपरांत स्वयं के व्यय पर आयोजन स्थल की सामग्री हो हटाना होगा।
4. भोपाल में आयोजन कार्यक्रम से संबंधित सामग्री का परिवहन व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। भोपाल से बाहर परिवहन व्यय कार्यक्रम की सामग्री के स्वरूप के आधार पर यथा समय वास्तविक व्ययों के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।
5. आयोजन उपरांत कार्यक्रम के लिये सौंपे गए प्रदर्श (चित्र/वाल हैंगिंग/मूर्तिशिल्प/फोटोग्राफ/फ्लेक्स इत्यादि) सही सलामत रूप से वापस सौंपने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
6. कार्यक्रम आयोजन के पूर्व एवं पश्चात् आयोजन स्थल की साफ—सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
7. संस्था द्वारा कार्य के लिए निर्धारित समय के कम से कम एक दिन पूर्व निर्देशित स्थानों पर सम्पूर्ण फिटिंग/साज—सज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। आमंत्रित व्ही.आई.पी. अतिथियों के प्रवेश के समय किसी प्रकार सामग्री का आवागमन संस्था द्वारा नहीं किया जावेगा।
8. विद्युत साज—सज्जा फिटिंग के दौरान उपयोग होने वाले वायर के ज्वाइंट इत्यादि खुले नहीं छोड़े जाएंगे। हमेशा ही सामग्री आई.ई.एस. मार्क उपयोग की जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था ही होगी।
9. विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली एवं लो.नि.वि. के लेबर रेगुलेशन एक्ट का पालन अनिवार्य होगा। समस्त स्टॉफ शासन द्वारा मान्य नियमानुसार योग्यता धारक होना चाहिए।
10. प्रत्येक मद/आइटम के लिये आवश्यक दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेखित की जानी चाहिए। किन्हीं दो आइटम की दरें जोड़कर या समूह बनाकर उल्लेख की जाने पर स्पष्टता नहीं हो पाने की स्थिति में ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दशमलव में डाली गई कोई भी दर सीधे अमान्य कर निविदा प्रपत्र अमान्य कर दिया जायेगा, दरें पूर्ण रूपों में कोड करनी होगी।
11. प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दरों का चुनाव करने के बाद न्यूनतम दरों पर कार्य करने हेतु सहमति पत्र के आधार पर फर्मों का चयन किया जावेगा। जिस

- फर्म की दरे तुलनात्मक रूप से कम पाई जावेगी कार्य हेतु प्रथम वरीयता प्रदान की जावेगी। निविदा की स्वीकृति न्यूनतम दरों में निगोसिएशन का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल का होगा।
12. सीलबंद निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों व विवरण अनुसार ही दरें ही जावे, सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा वे सवतः ही निरस्त मानी जावेगी।
 13. धरोहर राशि सीलबंद निविदा के साथ अलग-अलग कार्यो हेतु पृथक-पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल** के नाम देय होगा, जमा करना अनिवार्य है।
 14. ठेकेदार द्वारा कार्य संबंधी सभी व्यवस्थायें श्रमिक, ट्रांसपोर्ट, टूल्स जो भी उपयोग में लाया जावेगा स्वयं करना होगा।
 15. ठेकेदार को किसी अन्य एजेंसी को किसी भी अवस्था में कार्य सवलेट नहीं किया जावेगा। निविदा केवल उन्हीं फर्मों की स्वीकार्य योग्य होंगी। जिनके पास वांछित सामग्री का स्वामित्व स्वयं के पास होगा। पुष्टि हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि निविदाकर्ता फर्म का मुआयना कर सामग्री का सत्यापन कर सकें अन्यथा पाये जाने पर निरस्त की जा सकती है।
 16. अतिरिक्त कार्य/वस्तुएं जो निविदा में सम्मिलित नहीं हैं यदि उक्त कार्य किया जाता है तो उसकी दरें गठित समिति द्वारा मान्य की जायेगी।
 17. निविदाकर्ता जिनकी दरें स्वीकृत की जाती हैं एवं कार्यादेश दिये जाने के उपरांत यदि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है या कार्य करने में असमर्थता बताई जाती है तो ठेकेदार की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। एवं द्वितीय न्यूनतम को कार्यादेश दिया जावेगा।
 18. निविदा नोटिस में दी गई शर्तों का पालन ठेकेदार को करना होगा, जोकि किये जाने वाले अनुबंध का ही भाग माना जावेगा।
 19. ठेकेदार को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेबर रेग्युलेशन एक्ट का पालन करना होगा।
 20. निविदा फार्म के साथ दिये गये सामग्री विवरण अनुमानित हैं जिनमें आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।
 21. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के निर्देश व सुपरविजन के अनुसार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के निर्देशानुसार पूर्ण कराना होगा।
 22. कार्य हेतु समय का अत्यंत महत्व है, अतः कार्य दिये गये समय पर आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। किसी भी स्थिति में इस हेतु समय वृद्धि नहीं दी जावेगी। समय पर कार्य न करने की स्थिति में अन्य एजेंसी से उक्त कार्य पूर्ण करवा लिया जावेगा और अंतर की राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी अथवा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
 23. आवश्यकता होने पर कार्यक्रम के आडियो/वीडियो रिकार्ड की समुचित व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।
 24. दरो में सभी प्रकार के कर-ड्यूटी आदि शामिल करना होगा। पृथक से किसी भी प्रकार के कर आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०

पर्यटन भवन, भदभदा रोड़ भोपाल

निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रपत्र केवल ऐसी फर्मों से ही स्वीकार किए जायेंगे जिन्हें सांस्कृतिक आयोजनों में सफलतापूर्वक कार्य करने का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होगा। निविदाकर्ता फर्म के पास वैद्य सर्विस टैक्स अथवा टिन नम्बर/पेन नम्बर एवं वैद्य पी.एफ. नम्बर होना आवश्यक हैं। (अनुभव प्रमाण-पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र एवं वांछित दस्तावेज संलग्न करें।)
2. धरोहर राशि 10,000/- (दस हजार रु.) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डी.डी. के रूप में, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के नाम पर निविदा फार्म के साथ पृथक लिफाफे में जमा की जानी चाहिये। धरोहर राशि के अभाव में निविदा सीधे अमान्य कर दी जायेगी।
3. निविदा के साथ राशि रु. 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में पृथक से जमा किया जाना होगा जो **Non refundable** होगा।
4. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदादाता से प्राप्त धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के एक माह पश्चात लौटायी जायेगी। जिसमें कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्य आदेश जारी होने के समय या उसके बाद कभी भी आवश्यकतानुसार सामग्री/कार्य के घटाने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
6. निविदा में वांछित सामग्रियों के लिए भरी जाने वाली दरें स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जानी चाहिये। प्रत्येक दर, प्रति दिवस के आधार पर अंकित की जानी होगी। ओवर रायटिंग मान्य नहीं होगी।
7. सामग्री का मानक स्तर एवं गुणवत्ता के साथ फर्म की व्यवसायिक एवं आर्थिक क्षमतायें प्रतिष्ठा एवं अनुभव महत्वपूर्ण समझे जायेंगे। ऐसी संस्थाओं/फर्मों की ही निविदा स्वीकार योग्य होगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 लाख वार्षिक कार्य-व्यापार (**Turn over**) किया हो। प्रमाण-पत्र के साथ बैलेंस शीट संलग्न करना होगा।
8. प्रत्येक मद/आइटम के लिये आवश्यक दरें जोड़ कर या समूह बनाकर उल्लेख की जाने पर स्पष्टता नहीं हो पाने की स्थिति में ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी मद के लिये बेहतर विकल्प तुल्य वस्तु की दर दी जा रही हो जो उस व्यवस्था में भी मूल मद की दर उल्लेखित करना चाहिये। वैकल्पिक वस्तु/उत्पाद का पूर्ण विवरण सहित और नमूना स्पष्टता के लिये दर के साथ संलग्न करना होगा तभी उस पर विचार किया जाएगा।
10. सम्पूर्ण प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दर सह गुणवत्ता के आधार का चुनाव करने के बाद न्यूनतम दरों पर कार्य करने हेतु सहमति पत्र के आधार पर योग्य संस्था का चयन किया जायेगा। योग्य पायी गई संस्था की दरों पर निगोसिएशन का पूर्ण अधिकार संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को होगा।
11. सीलबंद निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों व विवरण अनुसार ही दिये जावें, सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा वे स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

12. धरोहर राशि सीलबंद निविदा के साथ अलग-अलग कार्यो हेतु पृथक-पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम देय होगा, जमा करना अनिवार्य है।
13. ठेकेदार द्वारा कार्य संबंधी सभी व्यवस्थायें श्रमिक, ट्रांसपोर्ट, टूल्स जो भी उपयोग में लाया जावेगा स्वयं करना होगा।
14. ठेकेदार को किसी अन्य एजेंसी को किसी भी अवस्था में कार्य सबलेट नहीं किया जावेगा। निविदा केवल उन्हीं फर्मो की स्वीकार्य योग्य होंगी। जिनके पास वांछित सामग्री का स्वामित्व स्वयं के पास होगा। पुष्टि हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि निविदाकर्ता फर्म का मुआयना कर सामग्री का सत्यापन कर सकें। किसी अन्य संस्था के साथ मिलकर किये कार्यो को अनुभव हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। वांछित अनुभव हेतु निविदाकर्ता एजेंसी के स्वयं के कार्यो को ही मान्य किया जायेगा।
15. अतिरिक्त कार्य/वस्तुएं जो साउण्ड, टेंट एवं लाईट डेकोरेटर्स एसोसिएशन की वर्तमान प्रचलित संलग्न लिस्ट में सम्मिलित नहीं हैं यदि उक्त कार्य किया जाता है तो उसकी दरें गठित समिति द्वारा मान्य किये जाने पर निर्धारित दरें ही मान्य की जायेगी।
16. कार्य समय किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रदाय विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा। कार्य हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें ठेकेदार द्वारा स्वयं की जावेंगी।
17. निविदाकर्ता जिनकी दरें स्वीकृत की जाती हैं एवं कार्यादेश दिये जाने उपरांत तत्काल यदि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है या कार्य करने में असमर्थता बताई जाती है तो ठेकेदार की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। एवं द्वितीय न्यूनतम को कार्यादेश दिया जावेगा।
18. निविदा नोटिस में दी गई शर्तो का पालन ठेकेदार को करना होगा, जोकि किये जाने वाले अनुबंध का ही भाग माना जावेगा।
19. ठेकेदार को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेबर रेग्युलेशन एक्ट का पालन करना होगा।
20. निविदा प्रपत्र शर्तो कार्य का विवरण स्पेसिफिकेशन के संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का निर्णय अंतिम होगा।
21. बिजली कार्य हेतु निविदा कर्ता का पंजीयन 'ए' श्रेणी में म.प्र. लासेंसिंग बोर्ड में होना अनिवार्य है। लायसेंस की सत्यप्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। निविदा खोलने के समय मूल प्रति समिति को दिखाना आवश्यक होगा।
22. विद्युत कार्यो हेतु सांस्कृतिक आयोजनों में की गई भागीदारी को ही मान्य किया जावेगा। फर्म के पांच वर्षो के अनुभव में यह आवश्यक होगा कि संस्थान द्वारा शासकीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विगत वर्षो में बराबर भागीदारी रहा है। मात्र 'ए' श्रेणी का लायसेंस की कार्य के लिये पर्याप्त नहीं होगा।
23. प्रदाय की गई सामग्री अच्छी गुणवत्ता की तथा साफ एवं स्वच्छ उपलब्ध करानी होगी। अतः सामग्री का अनुमोदन, लगाने के पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि से कराया जाना आवश्यक होगा।
24. सामग्री की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। किसी भी प्रकार की हानि टूट-फूट एवं प्रकोप के लिए किसी भी रूप में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
25. निविदा में दी गई शर्तो अनुबंध की शर्तो आदि में यदि कोई परिवर्तन सुधार होगा तो नया अनुबंध मूल माना जावेगा।
26. निविदा प्रस्तुतकर्ता को टेंट, प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था हेतु अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

27. निविदा फार्म के साथ दिये गये सामग्री विवरण अनुमानित हैं जिनमें आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि समिति की अनुशंसा पर की जा सकती हैं।
28. कार्य प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के निर्देश व सुपरविजन के अनुसार अथवा उनके ठेकेदार द्वारा विभाग की अनुमति के बिना कार्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
29. ठेकेदार द्वारा विभाग की अनुमति के बिना कार्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
30. कार्य हेतु समय का अत्यंत महत्व है, अतः कार्य दिये गये समय पर आवश्यकत रूप से पूर्ण करना होगा। किसी भी स्थिति में इस हेतु समय वृद्धि नहीं दी जावेगी। समय पर कार्य न करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जावेगा तथा अन्य एजेंसी से उक्त कार्य पूर्ण करवा लिया जावेगा तथा अंतर की राशि की वसूली ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
31. किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी तरह के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी सामग्री एवं लेवर का बीमा व उसका व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
32. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर मंच या मंच के बाहर अपने फर्म का विज्ञापन लगाना वर्जित होगा। शर्तों के उल्लंघन पर अनुबंध समाप्त कर शासन द्वारा निर्धारित विज्ञापन की दरों के अनुसार राशि वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का होगा।
33. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं।
34. स्वीकृत दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। निविदा प्रस्तुत करते समय सभी प्रकार के देय करों को ध्यान में रखकर दरें प्रस्तुत करनी होंगी। भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की गणना राशि काट कर ही भुगतान किया जावेगा।
35. ध्वनि व्यवस्था प्रपत्र 'अ' के मांग के अनुसार सामग्री की पूर्ति करनी होगी। सामग्री मानक, उच्च गुणवत्ता एवं कम्पनीमेड होनी चाहिये। सामग्री स्तरहीन पाये जाने पर तत्काल अनुबंध समाप्त कर भुगतान हेतु प्रस्तुत दावों को अमान्य करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के पास होगा।
36. ध्वनि व्यवस्था पत्रक 'B' पी.ए. सिस्टम 5 से 10 हजार दर्शकों के सुनने हेतु 20,000 वाट के आउटपुट के स्पीकर एवं अन्य सामग्री प्रपत्र 'A' की मांग अनुसार उपलब्ध कराना होगा। पेंजिंग हेतु मांग किये जाने पर आवश्यकतानुसार जेक की भी व्यवस्था करनी होगी। समस्त उपकरणों की स्थापना पश्चात् समुचित ध्वनि व्यवस्था करनी होगी। प्रपत्र 'A' की सभी सामग्री का समेकित मूल्य गुणांको के आधार पर कार्य दिवस के अनुसार अंकित किया जाना होगा।
37. ध्वनि व्यवस्था फोर-वे सिस्टम प्रपत्र 'B' के अनुसार सभी सामग्री मांग अनुसार उच्च गुणवत्ता एवं कम्पनीमेड की पूर्ति किया जाना आवश्यक है।
38. आवश्यकता होने पर प्रोग्राम के रिकार्ड की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
39. निविदाकर को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, कलाकारों, राज्योत्सव एवं बड़ी-बड़ी आम सभाओं आदि के कार्यक्रमों का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। प्रमाण-पत्र हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
40. सर्वाधिकार सुरक्षित- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल ।

41. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल का निर्णय अंतिम होगा, एवं यह विषय न्यायालय के क्षेत्र का विषय नहीं होगा।

विद्युत की निविदा दरें वर्ष 2011-12

प्रपत्र- "ए"

कं.	सामग्री का नाम	भोपाल के अंदर		भोपाल से बाहर	
		1,2 एवं 3 दिवसीय	4 एवं 4 से अधिक दिवसीय	1,2 एवं 3 दिवसीय	4 एवं 4 से अधिक दिवसीय
1.	टीमर लाईट				
2.	ट्यूब लाईट				
3.	झालर				
4.	निवाड़				
5.	हेलोजन लाईट 500/1000				
6.	बल्ब 100 से 300 वॉट				
7.	बल्ब 25 से 100 वॉट				
8.	मरकरी पेपर लेम्प				
9.	मेटल लाईट 250/400 वॉट				
10.	लेम्प पोस्ट ड्रम				
11.	स्पॉट लाईट 500/1000 वॉट				
12.	हेलोजन 500/1000 2000 वॉट				
13.	फ्रिजनल लाईट 500/1000 वॉट				
14.	बेबी लाईट 500 वॉट				
15.	पार लाईट स्टैण्ड (10 फीट)				
16.	टेबिल लैप				
17.	कलर जिलेटिन/कलर फिल्टर				
18.	कार्यक्रम के लिए 150 वॉट स्टैंड सहित लाईट				
19.	फॉलो स्पॉट 1000 से 4000 वॉट				
20.	पार 1000 वॉट				
21.	मरकरी 20 मरकरी 10				
22.	प्रोफाईल-1000 वॉट प्रोफाईल-2000 वॉट				
23.	डीमर सेट (इलेक्ट्रॉनिक कंसोल के साथ) 6 चैनल, (4 कि. वॉट पर चैनल)				
24.	मेन स्विच 100 एंपियर से 400 एंपियर				
25.	फोटो स्पॉट लाईट 100 से 250 वॉट				
26.	UV (अल्ट्रावायलेट) लाईट				
27.	CFL लाईट				
28.	जनरेटर डीजल सहित 82 के.वी. 125 के.वी.				

Details for Light, sound and stage

STAGE RISERS :

We need 4X8 or 4X6 raisers on top of that we need thick carpet and white sheets to cover from top. Also we need Back skirting in front of the stage (pl see attached file pic of the stage plan).

GREEN ROOMS:

A green room is required behind stage, if not possible then a lounge seating area will have to be made.

LIGHTS TECHNICAL RIDER

The lights should focus all the performers seating area. About 24 to 30 Par Cans on stand focussing the stage with amber , Pink and Blue color gels and the intensity of the light should be adjustable.

SOUND TECHNICAL RIDER

The speaker system provided must be in stereo and even coverage to every seat in the audience with delay stacks.(ensure that the system is checked before the musician come for a sound check. All inputs must be line checked and ready for the performance. All equipment must be of a professional quality only).

The equipment will not be shared with any other supporting act or for any other purpose. Once sound checked, it will not be removed or moved till the performance is over.

FOH MIXING CONSOLE / PA SYSTEM

24 channel console is required.

A digital crossover for the main PA and for the delay speakers stacks.

The main PA should be time aligned.

Centre and Side fills on the front of stage, as well as delays on balconies should be used, as this concert is semi classical and often run at relatively low volume

MONITORS

using 2 x monitor sends or Aux sends from the FOH desk (no additional monitor mixing desk is required)

4 Monitors / wedges are required for setups, for the larger Arena setup please provide 6 monitors

2 Monitor / Aux sends for the monitors from FOH mixer – Monitor mix 1 & 2

Monitor mix 1 – 2 x monitor's front of stage

Monitor mix 2 – 2 x monitors back of stage

Graphic Eq's are required for both monitor mixes

The Monitor must be rung out before the musicians arrive

AUX SENDS / RETURNS

3 Aux send for reverbs

21-22 return reverb

4 Aux send for delays

23-24 return delay

1 and 2 Aux / Monitor sends are used for Monitors

EFFECT UNITS/ PROCESSORS/OTHERS

2 x Reverbs – Yamaha/Lexicon/TC etc

1 x Digital Delay - TC Digital delay or similar

4 x Compressors

4 x Noise gates

1 x CD Player

Also supply a mini jack lead for IPOD

MICROPHONE/ D.I. BOX / MICROPHONE STANDS

6 x DI Boxes

8 x SM58 – (please note that SM58 are required not Beta's)

3 X SM57

1 X Condenser for Indian Flute

Main Vocal Microphone – SM58/KMS 105 or AKG D5

4 X Short Microphone stands and booms

6 x Tall Microphone stands and booms

DESK CHANNEL INPUTS

Ch1 – LEAD SINGER (D.I. Box)

CH2 – TABLA

CH3 – DHOLAK LEFT

CH4 – DHOLAK CENTRE

CH5 – DHOLAK RIGHT

CH6 – GUITAR ELECTRO ACOUSTIC

CH7 – FLUTE

CH8 – GUITAR 1

CH9 – GUITAR 2

CH10 – SITAR OR VIOLIN

CH11 – KEYBOARD

CH12 – SITAR

CH13 – ANNOUNCER

CH 14 – REVERB1


CH 15 – REVERB 2

CH 16 – DELAY

CH 17 – CD

CH 18 - CD

Stage layout



masking will be attached to the raiser from front side. Stool should be of size 2'X2' and height 1.5'. The raisers should have thick carpet on top and white sheets over the carpet. Chairs should be without handrest. Black masking can cover all three sides. There should be a gap between backdrop and the flute raisers of at least 5 feet

The Raisers should have 2 inch thick carpet on top and covered with white bed sheets & flower decor in front.